सार-समाचार

तारानगर की राष्ट्रीय लोक अदालत में 134 मामलों का निस्तारण

तारानगर (निसं)। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजलि सोनी की अध्यक्षता में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। लोक अदालत के जरिए दांडिक शमनीय के 32 मामले, 138 एनआई एक्ट के 12 प्रकरणों का निस्तारण कर 38 लाख 44 हजार रुपए की वसूली की गई। वैवाहिक मामलों के 20 मामले, भरण पोषण के 40 मामलों का निस्तारण कर 68 हजार 500 रुपए की वसूली हुई। इसी तरह सिविल व धन वसूली के 12 मामलों का निस्तारण, एमएसीटी के 07 प्रकरणों में कुल 72 लाख 45 हजार रुपए के पंचाट पारित किए। बैंक तथा बीएसएनएल के प्री-लिटिगेशन के 11 प्रकरणों का निस्तारण कर 28 लाख 44 हजार 500 रुपए की वसूली हुई। कुल 134 प्रकरणों का निस्तारण कर कुल 1 करोड़ 40 लाख 02 हजार रुपए की वसूली/समझौता राशि तय हुई। इस मौके पर ताल्लुका विधिक सेवा समिति सचिव जयंत यादव, सहायक अभियोजन अधिकारी गोविंद सिंह मोयल, एडवोकेट विकास सोनी, रीडर सुरेश कुमार चेजारा, धर्मेंद्र सिंह वर्मा, गोपीराम, मुकेश पूनिया, इंद्राज पूनिया, धीरज कुमार, संजय कुमार, घनश्याम शर्मा आदि उपस्थित थे।

चिड़ावा की राष्ट्रीय लोक अदालत में 179 माामलों का निस्तारण

चिड़ावा (निसं)। न्यायालय परिसर चिड़ावा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नरेंद्र सिंह अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश चिड़ावा की अध्यक्षता में आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर मामलो का निस्तारण किया गया। जिसमे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय चिड़ावा के कुल 179 मामलो का निस्तारण किया गया जिनमें 90,78,000/- रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए। विभिन्न विभागों से संबंधित प्री लिटिगेशन प्रकरण से संबंधित 29,66,000/- रुपये की राशि के अवार्ड पारित हुए। इस अवसर पर तालूका विधिक सेवा समिति से संदीप मीणा, बंटी कुमारी, सदस्य एडवोकेट रोबिन शर्मा, अभिषेक महमिया, राजकुमार लाम्बा, करणी सिंह शेखावत, मनराज सिंह, मनोज मीणा, राजवीर, अजय चाहर, संजय गोयल, बलबीर मीणा, अनिल गोदारा, अमित कुमार, अधिवक्ता विनोद डांगी, गिरधारी सोनी, राजेश भाटिया, खादिम हुसैन, अमित यादव, दीपक स्वामी, भीमसिंह सैनी, विजय डाबला, दीपक शर्मा, सुनील महला, विजय जांगिड़ आदि अधिवक्तागण, पक्षकारान और समस्त विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

नीमकाथाना की लोक अदालत में 453 प्रकरणों का निस्तारण

पाटन (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को नीमकाथाना उपखंड स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथाना के तत्वावधान में आयोजित लोक अदालत में कुल 453 प्रकरणों का निस्तारण कर 2 करोड़ 60 लाख 5 हजार 374 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। लोक अदालत में गठित बेंच संख्या एक के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या दो अरविंद कुमार तथा सदस्य गिरधारी बागड़ी ने लंबित मामलों के साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई की। इनमें बैंक रिकवरी, बिजली एवं पानी के बिल सहित अन्य मामले शामिल रहे। इस बेंच द्वारा कुल 157 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 1 करोड़ 83 लाख 74 हजार 800 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। वहीं, बेंच संख्या दो के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश शर्मा ने कुल 265 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 76 लाख 30 हजार 574 रुपये के अवार्ड पारित किए। तालुका विधिक सेवा समिति की दोनों बेंचों के माध्यम से कुल 453 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 2 करोड़ 60 लाख 5 हजार 374 रुपये के अवार्ड पारित हुए। लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का त्वरित समाधान कर आमजन को सुलभ एवं शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाना रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में बार संघ अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी सहित अधिवक्ता दिनेश शर्मा, रोशनलाल मोदी, हर्ष कुमार सैनी, पंकज सैनी, लोकेन्द्र गुप्ता, चुन्नीलाल सैनी, रामसिंह गुर्जर एवं जे.पी. चौधरी का सहयोग रहा। इसके अलावा लोक अदालत सदस्य शशिकला सैनिक तथा बार संघ महासचिव एवं लोक अदालत सदस्य गिरधारीलाल बागड़ी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चूरू में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं भव्य कलश यात्रा आज से

चूरू (कासं)। रविवार आज से चूरू के श्री राम मंदिर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया जा रहा है। कथा वाचन ऋषिकेश के पूज्य बाल संत श्री भोलेबाबा द्वारा किया जायेगा। प्रबंधकर्ता समिति के भास्कर शर्मा ने बताया कि सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्रीमती मंजू देवी गोविंदराम शर्मा ममता शर्मा,डॉ रजनीकांत उमेश शर्मा प्रेरणा शर्मा, कनिष्क शर्मा और उनके परिवार द्वारा करवाया जा रहा है। प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी जो गढ़ परिसर स्थित गोपाल जी मंदिर से प्रात: 9.15 बजे रवाना होकर राममंदिर पहुंचेगी जिसमें सैकड़ों की संख्या में मातृ शक्ति भाग लेगी ।कलश यात्रा में विभिन्न प्रकार की धार्मिक झांकियां भी देखने को मिलेगी। कलश यात्रा को लेकर अभी से भक्तों में उत्साह है, कलश यात्रा में बड़ी संख्या में मातृ शक्ति सम्मिलित होगी। 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली कथा में प्रतिदिन भव्य जीवंत झांकियां, प्रतिदिन प्रभातफेरी, प्रार्थना एवं स्तुति होगी। हवन एवं पूर्णाहुति 17 अक्टूबर की सुबह 9.15 बजे होगी। कथा का समय नित्य दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। कथा के दौरान बाल संत भोले बाबा श्रीमद्भागवत के विभिन्न प्रसंगों, भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं तथा भक्ति एवं धर्म से जुड़े प्रसंगों का वर्णन करेंगे। कथा स्थल पर गीताप्रेस गोरखपुर की पुस्तकों की स्टॉल लगेगी एवं श्री हरि गौशाला देवासर की पंचगव्य से निर्मित औषधियाँ उपलब्ध रहेगी। कथा में प्रतिदिन कथा के साथ भव्य झाकियां भी प्रदर्शित की जाएगी, जो आकर्षण का विशेष केंद्र रहेगी। 17 अक्टूबर को कथा स्थल पर सुबह 9.15 बजे हवन और पूर्णाहुति के साथ कथा का समापन होगा। मंच पर किसी भी प्रकार की भेंट, रुपए पैसे, वस्त्र आदि चढ़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

'संपर्क पोर्टल की शिकायतों में लापरवाही नहीं चलेगी, समय पर आमजन को राहत दें'

■ 400 अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण; कलेक्टर के सख्त निर्देश : शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें, ऑटो एस्केलेशन से बचने के लिए लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें

झुंझुनूं (निसं)। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज आमजन की शिकायतों के निस्तारण में अब लापरवाही नहीं चलेगी। शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण करने के बजाय परिवादियों को वास्तविक राहत उपलब्ध करवानी होगी। जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समयावधि में तथ्यात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। समय पर कार्रवाई नहीं होने से शिकायतें उच्च स्तर पर स्वत: अग्रेषित (ऑटो एस्केलेशन) होने की स्थिति नहीं आए, इसके लिए लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए। जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग की अध्यक्षता में राजस्थान संपर्क पोर्टल की कार्यप्रणाली और शिकायतों के प्रभावी निस्तारण को लेकर वेबएक्स के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के विभिन्न विभागों के करीब 400 अधिकारियों एवं कार्मिकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को शिकायतों की जांच, पोर्टल पर कार्रवाई दर्ज करने तथा परिवादियों को संतोषजनक समाधान उपलब्ध करवाने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। लोक सेवा की सहायक निदेशक शिवा चौधरी ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना , लंबित प्रकरणों की संख्या कम करना तथा आमजन को समय पर राहत उपलब्ध करवाना है। इसके लिए विभिन्न विभागों के पोर्टल प्रभारी अधिकारियों एवं कार्मिकों को शिकायतों के निस्तारण से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत की मूल भावना को समझना जरूरी है। शिकायत से संबंधित तथ्यों का परीक्षण करने के साथ आवश्यक अभिलेखों एवं जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। निस्तारण के दौरान की गई कार्रवाई और समाधान की स्थिति पोर्टल पर स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए, ताकि शिकायत पर हुई वास्तविक कार्रवाई की जानकारी मिल सके। जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अधिकारी लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करें और समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि देरी के कारण प्रकरण स्वत: उच्च स्तर पर अग्रेषित नहीं हों। उन्होंने नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिन विभागों में परिवादी संतुष्टि का स्तर कम है, उन्हें निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार करने और शिकायतकर्ताओं को संतोषजनक समाधान उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसी शिकायत को पोर्टल पर निस्तारित दिखा देना ही पर्याप्त नहीं है। शिकायत का समाधान ऐसा होना चाहिए, जिससे संबंधित व्यक्ति की समस्या का वास्तविक निराकरण हो और उसे राहत मिल सके। इसके लिए अधिकारियों को शिकायत की प्रकृति के अनुसार तथ्यात्मक जांच, आवश्यक कार्रवाई और समाधान की स्थिति को पारदर्शी तरीके से दर्ज करने के निर्देश दिए गए। सहायक निदेशक शिवा चौधरी ने बताया कि ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को शिकायतों के प्रभावी निस्तारण तथा पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जिला प्रशासन का जोर शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर है, ताकि राजस्थान संपर्क पोर्टल आमजन की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बने और लोगों को अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़े।

रेलवे कॉलोनी में रामलीला का मंचन आज से

चूरू (कासं)। जिला मुख्यालय पर रेलवे कॉलोनी स्थित श्री हनुमान कला मंदिर में श्री हनुमान सेवा समिति की ओर से रामलीला का मंचन रविवार रात्री 8.30 बजे से नवरात्रा स्थापना से प्रारंभ होगा और ये रामलीला 20 अक्टूबर दशहरे तक चलेगी। गौरतलब है कि 1966 से चल रही रामलीला अनवरत जारी है। समिति के हरि कृष्ण रवि ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने से रामलीला के संचालन के लिए नए व पुराने कलाकारों द्वारा रिहर्सल की जा रही है। शुक्रवार रात्रि को रावण और नंदी संवाद की रिहर्सल की गई। रवि ने बताया कि इस वर्ष की रामलीला में विशेष मंचन होगा, क्योंकि गत दिनों रामलीला संयोजक व मंच के कोषाध्यक्ष रमेश चन्द्र शर्मा का निधन होने के कारण मंच के कलाकारों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके ही रामलीला का शुभारंभ किया जायेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में 52 उपभोक्ता प्रकरणों का निस्तारण

■ बिजली उपभोक्ता को 72 घंटे में राहत, घरेलू कनेक्शन बहाल कराने के साथ संशोधित बिल भी निर्धारित

झुंझुनूं (निसं)। राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ता विवादों के त्वरित निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए झुंझुनूं में 52 उपभोक्ता प्रकरणों का निस्तारण कराया गया। शनिवार को आयोजित तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश अजय गोदारा एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील की बेंच ने लोक अदालत की भावना के अनुरूप प्रकरणों का निस्तारण कर पीड़ित उपभोक्ताओं को राहत दिलाई।

लोक अदालत में आपसी सहमति और त्वरित समाधान के माध्यम से उपभोक्ता विवादों को सुलझाने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य परिवादियों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाकर उनके मामलों का समयबद्ध निस्तारण करना रहा। लोक अदालत में एक उपभोक्ता प्रकरण का त्वरित समाधान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। प्रकरण दर्ज होने के महज 72 घंटे के भीतर ही संबंधित विद्युत उपभोक्ता का घरेलू बिजली कनेक्शन पुन: स्थापित करवाया गया। इसके साथ ही विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित बिजली बिल की राशि भी निर्धारित करवाई गई।

त्वरित कार्रवाई से उपभोक्ता को राहत मिली और यह सामने आया कि समय पर सुनवाई एवं प्रभावी समन्वय से उपभोक्ता विवादों का शीघ्र समाधान संभव है। लोक अदालत के दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विधि अधिकारी डॉ. प्रज्ञ कुल्हार, अधिशासी एवं नोडल अधिकारी प्रदीप कुमार भाम्बू, सहायक अभियंता अनिल कालेर, हरिराम जमालपुरिया, अरविन्द झाझड़िया, राजस्व अधिकारी सुंदरलाल, इकबाल अली, सतवीर एवं राजेश जांगिड़ उपस्थित रहे।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से रीडर महावीर सिंह मीणा, वरिष्ठ सहायक चंदन कुमार सैनी, एजाज नबी, आदिल फारूकी, अमित शर्मा, अविनाश सिंह शेखावत एवं प्रमोद मीणा मौजूद रहे। इसी प्रकार जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष रतन मोरवाल, सचिव विकास महमिया, वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह राठौड़, कमलेश झाझड़िया, विजेन्द्र बारहट, फूलचंद सैनी, लाल बहादुर जैन तथा अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में परिवादी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण होने से परिवादियों को न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय और अनावश्यक परेशानी से राहत मिली। लोक अदालत का मंच आपसी सहमति से विवादों के समाधान तथा मुकदमेबाजी से स्थायी छुटकारा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ।

कला उत्सव में पायल यादव ने रीजनल स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया

■ राष्ट्रीय एकता समागम में जयपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगी, नवोदय विद्यालय पाटन का गौरव बढ़ाया

पाटन (निसं)। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पाटन की कक्षा 11वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा पायल यादव ने कला उत्सव 2026 की रीजनल स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय सहित पाटन क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस शानदार उपलब्धि के बाद अब पायल यादव नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता समागम में जयपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगी।

नवोदय विद्यालय समिति, जयपुर संभाग की ओर से आयोजित कला उत्सव की विजुअल आर्ट्स-2डी (चित्रकला) प्रतियोगिता में राजस्थान, हरियाणा एवं नई दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच पायल ने अपनी कलात्मक प्रतिभा, मौलिक सोच और प्रभावशाली चित्रांकन के दम पर प्रथम स्थान हासिल किया।

विद्यालय के कला अध्यापक आलोक शर्मा (टीजीटी आर्ट) के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पायल यादव ने अपनी कलाकृति 'परंपरा से प्रगति की ओर' तैयार की। इस कलाकृति में भारतीय सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला एवं प्राचीन ज्ञान-विज्ञान के साथ आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान, तकनीक और वैज्ञानिक नवाचार का आकर्षक समन्वय प्रस्तुत किया गया।प्रतियोगिता की चयन प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कलात्मक दक्षता, मौलिक सृजनशीलता, चित्रांकन कौशल और विषय की समझ को परखा गया।

पायल ने पहले संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद 7 एवं 8 अक्टूबर 2026 को आयोजित रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया। उन्होंने निर्णायकों के समक्ष अपनी कलाकृति में निहित संदेश और प्रतीकों की प्रभावशाली व्याख्या भी की। पायल यादव की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य नारायण सिंह शेखावत एवं उप प्राचार्य मंजू श्रीवास्तव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता पायल की प्रतिभा, लगन, निरंतर अभ्यास और उचित मार्गदर्शन का परिणाम है।

कला अध्यापक आलोक शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान मौलिक चित्र-संयोजन, रंगों के संतुलन, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति और निर्धारित समय में उत्कृष्ट कलाकृति तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया। पायल ने अपनी मेहनत और रचनात्मक सोच से इस चुनौती को सफलता में बदल दिया। उल्लेखनीय है कि कला उत्सव भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल है, जिसके माध्यम से देशभर के विद्यार्थियों को अपनी कलात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।

रीजनल स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने के बाद अब पायल यादव राष्ट्रीय एकता समागम (नेशनल इंटीठोशन मीट) में जयपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगी।पायल की इस उपलब्धि से जवाहर नवोदय विद्यालय पाटन में खुशी का माहौल है। विद्यालय परिवार ने विश्वास जताया कि पायल राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय, क्षेत्र और संभाग का गौरव बढ़ाएंगी।

डांडिया-गरबा में विजेताओं को सम्मानित किया

रतनगढ़ (निसं)। श्री अग्रवाल सेवा समिति के तत्वावधान में महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अग्र महोत्सव के तहत शुक्रवार रात अग्रसेन भवन में डांडिया-गरबा कार्यक्रम हुआ। समाज की महिलाओं एवं युवतियों ने उत्साह से भाग लेकर प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में खजाना कूपन के विजेता निकिता चौधरी, तृप्ति खेतान, शर्मिला पौद्दार, मधु भड़ेच एवं काव्या अग्रवाल को चांदी के सिक्के देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज की अनेक महिलाएं एवं युवतियां उपस्थित रहीं।शनिवार को पिंजरापोल गोशाला में गायों को लापसी खिलाई गई तथा अग्रसेन भवन में अखंड रामायण पाठ शुरू हुआ, जिसका समापन रविवार को होगा। रविवार को आरती, माल्यार्पण, अन्न क्षेत्र में भोजन एवं फल वितरण, विभिन्न प्रतियोगिताएं, महाराजा अग्रसेन की शोभायात्रा तथा जयंती महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होंगे। शोभायात्रा में विभिन्न झांकियां सजाई जाएंगी। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी दीपक मुरारका समिति अध्यक्ष राधेश्याम पांडुसरिया, महामंत्री श्यामसुंदर खेमका, कोषाध्यक्ष बालकिशन पौद्दार, रमेश रामगढ़िया, नरेश चौधरी, गौरीशंकर जालान एवं राजेंद्र जालान सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

सार-समाचार

सड़क हादसे के मामले में 9 साल से फरार स्थाई वारंटी गिरफ़्तार

झुंझुनूं (निसं)। सदर थाना पुलिस ने सड़क हादसे के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे स्थाई वारंटी लालचन्द को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2017 के दुर्घटना प्रकरण में वांछित था। उसके खिलाफ न्यायालय से स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी था। सदर थाना पुलिस की गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय देवेन्द्र सिंह राजावत के मार्गदर्शन तथा वृत्ताधिकारी झुंझुनूं शहर गोपाल सिंह ढाका के सुपरविजन में थानाधिकारी बिमला बुडानिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार , 11 मार्च 2017 को रात करीब 8:15 बजे ओंकारमल पुत्र गोरूराम निवासी अजाड़ी खुर्द गांव से अपने खेत की ओर ऊंटगाड़े से जा रहे थे। इसी दौरान गलत दिशा से आए बिना नंबर के ट्रैक्टर ने ऊंटगाड़े को टक्कर मार दी। हादसे में ओंकारमल की मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद हरचन्द निवासी बासड़ी घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैक्टर चालक लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया था। इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279 , 337 व 304 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 और 134/187 के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया था। मामले में न्यायालय की ओर से जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट की पालना में पुलिस ने लालचन्द पुत्र महेन्द्र निवासी खतेहपुरा, थाना सदर झुंझुनूं को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई करने वाली टीम में सदर थानाधिकारी बिमला बुडानिया, सहायक उपनिरीक्षक मोहनलाल, कांस्टेबल शिम्भुदयाल तथा चालक कांस्टेबल राकेश शामिल रहे। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई में सहायक उपनिरीक्षक मोहनलाल का विशेष योगदान रहा।

सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े का आरोप, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

खेतड़ी (निसं)। नानूवाली बावड़ी गांव में नदी-नाले की सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने नदी-नाले में मिट्टी डालकर पानी का बहाव रोकने और सरकारी भूमि पर तारबंदी कर कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण का विरोध करने पर उन्हें गुंडों से मरवाने की धमकी दी जा रही है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सुनील कुमार चौहान को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि नारनौल निवासी राकेश लाम्बा ने अपने परिजन के नाम से ग्राम नानूवाली बावड़ी में भूमि खरीदी थी। आरोप है कि खरीदी गई भूमि के बजाय गांव में स्थित नदी-नाले की सरकारी भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, नदी-नाले में मिट्टी डालकर पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र को बंद किया जा रहा है। साथ ही , सरकारी भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने कथित अतिक्रमण का विरोध किया तो संबंधित व्यक्ति की ओर से उन्हें गुंडों से मरवाने की धमकी दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस घटनाक्रम से गांव में भय का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, सरकारी भूमि की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने तथा अतिक्रमण की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद ग्रामीणों ने तहसीलदार को भी ज्ञापन देकर चार दिवस में कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि नदी-नाले की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने और पानी के बहाव क्षेत्र को बहाल करने के लिए प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समयावधि में कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान सरपंच रमेश सैनी, बलवीर सैनी, संजय सैनी, नरोत्तम सैनी, रवि सैनी, चंदगीराम मास्टर, रूडाराम, संदीप, शीशराम, विकास, महावीर गुर्जर और रामजीलाल सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।

बिसाऊ से गांगियासर रायमाता धाम तक 6वीं भव्य पैदल यात्रा निकलेगी

बिसाऊ (निसं)। विक्कीआर्य ने बताया कि हर वर्ष के भाती इस बार भी सुरेश कानोड़िया द्वारा बिसाऊ से गांगियासर स्थित प्रसिद्ध रायमाता मंदिर तक श्रद्धालुओं की 6वीं पैदल यात्रा 17 अक्टूबर 2026 को निकाली जाएगी। श्री रायमाता प्रबंध समिति, गांगियासर के अनुसार यात्रा का आयोजन बिसाऊ निवासी श्री सुरेश कुमार कनोडिया (डब्बू) द्वारा किया जा रहा है।पैदल यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्कूल की बसें सुबह 5 बजे से गांगियासर से बिसाऊ रामलीला मैदान तक जाएंगी। समिति ने यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं से अपना नाम पिरामल एंड संस की दुकान पर विक्की आर्य द्वारा दर्ज करवाने की अपील की है। श्रद्धालुओं के लिए 6 बसों की व्यवस्था हर वर्ष की भांति इस बार भी श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए 6 बसों की व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए जलपान की सेवा भी उपलब्ध रहेगी। तथा वाहन कि व्यवस्था स्कूल की जाएगी। मेला18 से 20 अक्टूबर तक लगेगा भव्य मेला रायमाता मंदिर परिसर में 18, 19 एवं 20 अक्टूबर 2026 को तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। अष्टमी, नवमी और दशमी के अवसर पर होने वाले इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। पैदल यात्रा के दौरान माता के जयकारों से बिसाऊ से गांगियासर तक का मार्ग भक्तिमय होगा। आयोजन समिति ने क्षेत्र के श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पैदल यात्रा एवं मेले को सफल बनाने का आव्हान किया है। सभी माता बहनों को एक जैसी वेशभूषा में नजर आएगी। यह व्यवस्था डब्बू भाई के द्वारा प्रति वर्ष की जाती है। श्री रायमाता प्रबंध समिति, गांगियासर ने सभी श्रद्धालुओं से यात्रा में शामिल होकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। विक्की आर्य यह यह भी बताया कि सातमऔर अष्टमी को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा साईं करो सरदार आलू प्रसाद ग्रहण करेंगे।

एक साल से फरार मुलज़िम गिरफ़्तार

तारानगर (निसं)। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में पिछले एक साल से फरार चल रहे दस हजार के ईनामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एसएचओ पुष्पेंद्रसिंह ने बताया कि 28 जुलाई 2025 को गश्त के दौरान पुलिस द्वारा ट्रक में परिवहन करते हुए 3.028 किलोठााम अफीम बरामद कर मुलजिम हिमताराम पुत्र हजारीराम जाट निवासी बारानी पुलिस थाना सदर नागौर व रामुराम पुत्र पुरबाराम जाट निवासी खड़काली पुलिस थाना पांचोड़ी जिला नागौर को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट मे मामला दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण मे घटना के बाद से मुलजिम पेमाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी डेरवा पुलिस थाना श्री बालाजी जिला नागौर फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक चुरू की ओर से दस हजार का ईनाम घोषित किया गया था। आईजी बीकानेर व एसपी चूरू की ओर से ईनामी अपराधियो की गिरफरी को लेकर चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान पेमाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है।

पंचायती राज चुनाव 2026: प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला आयोजित

प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ों और निर्वाचन संबंधी नियमों की जानकारी दी

■ पंच, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों ने समझी चुनाव नामांकन प्रक्रिया

सीकर (निसं)। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों की तैयारियों के तहत शनिवार को जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों के स्तर पर प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला जिला परिषद सभागार सीकर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की। कार्यशाला में उन्होंने पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य पदों के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों को नामांकन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और निर्वाचन संबंधी नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इसमें चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया, नामांकन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न नियमों और प्रावधानों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना शर्मा ने कार्यशाला में संभावित प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जागरूक किया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया एवं निर्वाचन संबंधी प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में उनकी समझ को विकसित करना रहा हैं।

कार्यशाला में डीएलएमटी रोहित कुमार ने प्रतिभागियों को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र प्रस्त